(भारत के राजपत्र के, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (II) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 27 अगस्त, 2018

अधिसूचना

का. आ. सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतत्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि आयकर नियमावली, 1962 (उक्त नियमावली) के नियम 5ग और 5ड. के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 (उक्त अधिनियम) की धारा 35 की उपधारा (1) के उपवाक्य (ii)/ उपवाक्य (iii) के उद्देश्य से **मैसर्स सी.बी.सी.आई. सोसाइटी फॉर मेडिकल एजुकेशन, बंगलुरू (पैनः** AAATC0773E) नामक संगठन को **निर्धारण वर्ष 2018-19 और इससे आगे की अवधि के लिए** केंद्र सरकार निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए **'विश्वविद्यालय, कॉलेज अथवा अन्य संस्थान'** जो कि अनुसंधान क्रियाकलापों में संलग्न है की श्रेणी के रूप में अनुमोदित करती है यथा:-

(i) इस अनुमोदित संगठन को प्रदत्त राशि का उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान/ सामाजिक विज्ञान अनुसंधान/ सांख्यिकी अनुसंधान के लिए किया जाएगा;

(ii) यह अनुमोदित संगठन ही वैज्ञानिक अनुसंधान/ सामाजिक विज्ञान अनुसंधान/ सांख्यिकी अनुसंधान अपने संकाय सदस्यों अथवा का कार्य नामांकित सदस्यों के माध्यम से अनुसंधान का कार्य संपन्न करेगा।

(iii) अनुमोदित संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान/सामाजिक विज्ञान अनुसंधान/सांख्यिकी अनुसंधान के लिए प्राप्त राशि संसंबंधित **अलग बहीखाता** रखेगा और जिसमें अनुसंधान के लिए प्रयुक्त राशि को विनिर्दिष्ट दर्शाई गई ऐसी खाता बहियों को उक्त अधिनियम की धारा 288 की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण में यथा विनिर्दिष्ट किसी लेखाकार से लेखा परीक्षा कराएगा और उक्त अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के अंतर्गत आय विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि तक, ऐसे लेखाकार द्वारा विधिवत सत्यापित एवं हस्ताक्षरित लेखा परीक्षा रिपोर्ट, ऐसे मामलों से संबंधित अधिकार क्षेत्र वाले आयकर आयुक्त अथवा आयकर निदेशक को प्रस्तुत करेगा;

(iv) अनुमोदित संगठन, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रयुक्त राशि तथा **दान का अलग विवरण रखेगा** तथा वैज्ञानिक/सामाजिक विज्ञान /सांख्यिकी अनुसंधान के लिए प्रयुक्त राशि तथा इस प्रकार के अनुदान का प्रयोग केवल मूल अनुसंधान गतिविधियों के लिए ही किया जाएगा और उपर्युक्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत सत्यापित ऐसे विवरण की प्रति प्रस्तुत करेगा।

(v) उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) के उपवाक्य (ii)/(iii) के तहत संगठनों द्वारा प्राप्त की गई धनराशि का प्रयोग केवल मूल **वैज्ञानिक/सामाजिक विज्ञान /सांख्यिकी अनुसंधान के लिए ही किया जाएगा तथा मरीज के उपचार, सामान्य शैक्षिक गतिविधियों (अनुसंधान के अलावा)** या संगठन **के किसी अन्य उद्देश्य से संबंधित गतिविधियों के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा।**

(vi) यह अनुमोदित संगठन धारा 139 की उपधारा (1) के तहत आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख तक आयकर आयुक्त या आयकर निदेशक को एक विवरण प्रस्तुत करेगा, जिसमें निम्नलिखित बाते होंगी:-

- पिछले वर्ष के दौरान उसके द्वारा किए गए अनुसंधान कार्य का एक विस्तृत ब्यौराः
- उक्त वर्ष के दौरान, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय जर्नलों में प्रकाशित शोध लेखों का सारांशः
- उक्त वर्ष के दौरान किसी पेटेंट या इसी प्रकार के किसी अन्य अधिकार के लिए आवेदन या पंजीकरण
- इस प्रकार के कार्यक्रम के लिए वित्तीय आबंटन तथा आगामी वर्ष के दौरान किए जाने वाले अनुसंधान प्रोजेक्टों का कार्यक्रम

2. केंद्र सरकार यह अनुमोदन वापस ले लेगी यदि अनुमोदित संगठन:-

(क) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (iii) में यथा उल्लिखित **अलग बही खाता** नहीं रखता है; अथवा

(ख) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (iii) में यथा उल्लिखित अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर पाता है; अथवा

(ग) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (iv) में यथा उल्लिखित वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त दान एवं प्रयुक्त धनराशि का विवरण प्रस्तुत नहीं करता है; अथवा

(घ) अपने अनुसंधान कार्य कलापों को करना बंद कर देता है अथवा इसके अनुसंधान कार्य कलापों को यथोचित नहीं पाया जाता है; **अथवा**

(ड.) उक्त नियमावली के नियम 5ग और 5ड. के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) के उपवाक्य (ii) के प्रावधानों के अनुरूप नहीं रहता है तथा उनका पालन नहीं करता है।

राजराजेश्वरी 10/8/18
(राजराजेश्वरी आर.)
अवर सचिव, भारत सरकार

अधिसूचना सं. 40/2018

(फा. सं. 203/17/2017-आ.क.नि.-II)

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी, नई दिल्ली

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. आवेदक संगठन **मैसर्स सी.बी.सी.आई. सोसाइटी फॉर मेडिकल एजुकेशन, बंगलुरू।**
2. मुख्य आयकर आयुक्त (छूट), नई दिल्ली।
3. आयकर आयुक्त (छूट), बंगलुरू।
4. वेब मैनेजर, नई दिल्ली को वेबसाइट incometaxindia.gov.in में डालने हेतु।
5. आईटीसीसी, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (4 प्रतियां)।
6. संबंधित फाइल।
7. गार्ड फाइल।

राजराजेश्वरी 10/8/18
(राजराजेश्वरी आर.)
अवर सचिव, भारत सरकार